

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या-५ / ix-1 / 2017/109(2013)

देहरादून दिनांक १२ जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) सपष्टित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 50 के उपनियम (3) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या-२२/३-४/स०प०/कैम्प/२०००-२००१, दिनांक ३० नवम्बर, २००० के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित उप संभागीय परिवहन कार्यालयों को उनके सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्रमांक	उप संभागीय परिवहन कार्यालय	वांछित पंजीयन कोड
1.	रामगंगर	UK 19
2.	रानीखेत	UK 20

(सी०एस० नपलच्चाल)
सचिव।

संख्या- (1) / ix-१/ 2017/109(2013)-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— वरिष्ठ निजी सचिव, मार्गिपरिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— समस्त राज्यों के परिवहन आयुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- 4— समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5— समस्त पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।